न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 05/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर		1. पदमसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह उम्र 35 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)** मैसर्स दी ओसियां सुपर मार्ट, वाटर वर्क्स के पास, फलौदी बाई पास रोड़, ओसियां जोधपुर निवासी-1066 नयापुरा ओसियां जिला जोधपुर 2. हेमन्त अरोड़ा पुत्र श्री राजेन्द्र अरोड़ा, उम्र-29 वर्ष **(थोक विक्रेता/मालिक)** मैसर्स हरिओम एजेन्सी, हा0संख्या 389, मेहरान टावर के सामने, सरदारपुरा प्रथम सी रोड़, जोधपुर निवासी हा0संख्या 389, मेहरान टॉवर के सामने, सरदारपुरा प्रथम सी रोड़ जोधपुर 3. श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा **(भागीदार/मालिक)** मैसर्स लौंगी इण्डस्ट्रीज, जी-1-83 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 4. श्री श्रीप्रकाश शर्मा **(भागीदार/मालिक)** मैसर्स लौंगी इण्डस्ट्रीज, जी-1-83 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 5. फर्म मैसर्स लौंगी इण्डस्ट्रीज, जी-1-83 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर **(फर्म)**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से श्री कुलभूषण व्यास उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 09.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.10.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स दी ओसियां सुपर मार्ट वर्क्स के पास, फलोदी बाई पास रोड़ ओसियां जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर विक्रेता श्री पदमसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह (एफबीओ/मालिक) उम्र 35 वर्ष, निवासी 1066 नयापुरा, ओसियां, जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु किराणा सामान एवं हल्दी पाउडर (टाईगर) वास्ते विक्रय भण्डारण किये हुए पाये गये। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2018 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने मौके पर पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर **हल्दी पाउडर (टाईगर) 500 ग्राम** के 15 पैकेटस रैक्स पर आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इसका निरीक्षण करने पर अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाह श्री हरिनारायण सिंह पुत्र श्री देवीसिंह निवासी ग्राम खुड़ियाला तहसील तिंवरी जिला जोधपुर एवं श्री रेंवतसिंह खाद्य सुरक्षा

अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 320/- नगद देकर **हल्दी पाउडर (टाईगर) 500 ग्राम** के 04 पैकेटस वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **हल्दी पाउडर (टाईगर) 500 ग्राम** के 04 पैकेटस हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-1890** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया एवं चारो नमूनों को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-1890** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-1890** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 23.10.2018 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम-1890** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/726/एक्ट/2018/742 दिनांक 12.11.2018 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (टाईगर)** के नमूनों व पैकेटों के लेबल पर 08 Months from date of packing (Given in small letters) Contravention of Regulation No. 2.2.2(10) of Food Safety and Standard (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 के अनुसार **मिथ्या छाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्य क्षेत्र, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, मैसर्स दी ओसियां सुपर मार्ट का खाद्य अनुज्ञा पत्र व वेट 03 प्रमाण पत्र, नमूना संख्या एम-1890 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-1890 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र संख्या 633-634, जांच रिपोर्ट फार्म बी एल.एस./726/एक्ट/2018/742, मैसर्स दी ओसियां सुपर मार्ट को लिखा रजि0पत्र 77 मय रजि0रसीद, मैसर्स दी ओसियां सुपर मार्ट का लिखा पत्र, मैसर्स हरिओम एजेन्सी जोधपुर का इनवोइस 110, मैसर्स हरिओम एजेन्सी जोधपुर एवं लौंगी इण्डस्ट्रीज बीकानेर को लिखा पत्र 83-84, मैसर्स हरिओम एजेन्सी का लिखा पत्र मय जीएसटी प्रमाण पत्र पहचान पत्र श्री हेमन्त एफएसएसआई अनुज्ञप्ति लौगी इण्डस्ट्रीज का इनवोइस 420, मै.लौंगी इण्डस्ट्रीज बीकानेर का लिखा पत्र एफएसएसआई अनुज्ञप्ति जीएसटी प्रमाण पत्र श्री कुलभूषण व्यास का पहचान पत्र आधार कार्ड पेश किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 17.07.19 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दिनांक 29.08.2019 को जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थी ने बताया कि मेरी फर्म मैसर्स दी ओसियां सुपर मार्ट वाटर वर्क्स के पास फलौदी बाईपास रोड़ ओसियां जोधपुर से हल्दी पाउडर टाईगर ब्राण्ड का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया जो कि Best before 8 months from packaging अंग्रेजी के छोटे शब्दों में लिखा होने के कारण मिथ्याछाप पाया गया। उक्त हल्दी पाउडर (टाईगर) के पैकेटस मैने फर्म मैसर्स लौंगी इण्डस्ट्रीज बीकानेर से खरीदे थे तथा उक्त मिथ्याछाप के बारे में मुझे जानकारी के अभाव में मैंने उक्त पैकेटस बिक्री हेतु अपनी दुकान में रखे हुए थे। मै भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जांच कर ही माल खरीद करूंगा। अत: अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 03 से 05 की ओर से दिनांक 29.08.2019 को जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण ने बताया कि दिनांक 22.10.2018 को फर्म मैसर्स दी ओसियां सुपर मार्ट वाटर वर्क्स के पास फलौदी बाईपास रोड़ ओसियां जोधपुर से हल्दी पाउडर टाईगर ब्राण्ड का नमूना प्रयोगशाला जांच में मिथ्याछाप पाया गया। पूरी जानकारी के अभाव में हमारे उक्त पैकेट पर Best before 8 months from packaging अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में नहीं लिखा हुआ था। इस भूल की जानकारी होते ही हमने हमारे सभी मसालों के पैकेटस पर इसे अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में लिखवा लिया है जो कि जानकारी हेतु जवाब के साथ संलग्न किया गया है। उक्त भूल को क्षमा करे तथा कम्पनी द्वारा सदैव पूरा प्रयास किया जाता है कि एफएसएसआई 2006 के नियमों की पालना की जाये और भविष्य में भी कम्पनी इसका पूरा ध्यान रखेगी। अत: अप्रार्थीगण संख्या 03 से 05 द्वारा जवाब पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने एवं प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 52 के तहत दोषी है। अत: **अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक पर शास्ति रूपये 2,500/-** (अक्षरे रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र) कुल शास्ति रूपये 5,000/- (अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र), व **अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 पर शास्ति रूपये 5,000/-** (अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र) आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 09.09.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 09.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर